"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 860] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2019 — पौष 3, शक 1941

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–13/2017/32.— भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 में, उप नियम (3) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(घ) आवासीय भू–खण्ड विकास परियोजना के मामले में, पॉच रूपये प्रति वर्गमीटर, किन्तु जो दो लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। "

2. नियम 3 में, उप नियम (3) में, खण्ड (घ) के पश्चात्,निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ङ) मिश्रित विकास (आवासीय और वाणिज्यिक) के मामले में उन परियोजनाओं, जहॉ विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक नही है, के लिए आठ रूपये प्रति वर्गमीटर और उन परियोजनाओं, जहॉ विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि 1000 वर्गमीटर से अधिक है, के लिए दस रूपये प्रति वर्गमीटर, किन्तु जो 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा।

(च) वाणिज्यिक भू–खण्ड विकास की परियोजना के मामले में, जहॉ विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक नहीं हैं, के लिए 15 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा उन परियोजनाओं, जहॉ विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक है, के लिए 20 रूपये प्रति वर्गमीटर, किन्तु जो 08 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा। "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 7–13/2017/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–12–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 23rd December 2019

NOTIFICATION

No. F 07-13/2017/32.— In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development), Rules, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 3, in sub-rule (3), for clause (d), the following shall be substituted, namely :-

"(d) In case of residential land development project, five rupees per square but not exceeding two lakhs rupees "

2. In Rule 3, in sub-rule (3), after clause (d), the following shall be inserted, namely :-

"(e) Those projects in case of mixed development (residential and commercial), where the area of the proposed land to be developed is not more than 1000 square meter, eight rupees per square meter and for projects where the proposed land to be developed is more than 1000 square meter, ten rupees per square meter, but not exceeding Rs. 5 lakhs.

(f) In case of commercial plot development project where the area of the proposed land to be developed is not more than 1000 square meter, fifteen rupees per square meter and for those projects where the area of the proposed land to be developed is more than 1000 square meter, twenty rupees per square meter but not exceeding Rs. 8 lakhs. "

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHOSKAR VILASH SANDIPAN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.